बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना

(DEPT. OF HR & ADMINISTRATION)
(Regd. Office:- Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)
Contact No.: 7763817975,7763818077, email-dgmhr1015.bsptcl@gmail.com, website-www.bsptcl.in
TIN VAT NO-10011257007, TIN CST NO-10011146136, CIN- U74110BR202SGC018889

संकल्प संख्या- T-I/DP/CE-41004/2022 2765 पटना, दिनांक- 20/11/2025

श्री आशीष कुमार (Emp.ID- E02819), तदेन विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, बेगूसराय सम्प्रति विद्युत अधीक्षण अभियंता (तकनीकी सचिव), संचरण जोन, भागलपुर के विरुद्ध संकल्प सं.150 दिनांक 13.01.2022 के साथ संलग्न आरोप-पत्र में विनिर्दिष्ट कर्तव्य के निष्पादन में लापरवाही एवं शिथिलता के आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त विशेष सचिव, बिहार सरकार को जाँच पदाधिकारी एवम् श्री विजय कुमार, तदेन प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, जाँच पदाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 148 दिनांक 28.06.2022 द्वारा अंतिम जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। विभागीय कार्यवाही में श्री आशीष कुमार के विरुद्ध मूलतः दो आरोप लगाये गये थे, जो निम्नानुसार है-

आरोप-1 GSS Begusarai में 132 के.वी. तथा 33 के.वी. स्विचयार्ड के बीच दो खराब ट्रांसफॉर्मर (S.No.5787, 5788) वर्ष 2019 (जुलाई तथा दिसम्बर) से रखे हुए थे। इसी बीच CCTV Footage के अनुसार दिनांक 05.03.2021 की रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दोनों ट्रांसफॉर्मर के Valve की चोरी को अंजाम दिया गया। चोरी के दौरान एक ट्रांसफॉर्मर (S.No.5787), जिसमें पहले से पूरा तेल भरा हुआ था, से अत्यधिक मात्रा में तेल की बर्बादी/रिसाव हुआ। दूसरे ट्रांसफॉर्मर (S.No.5788) से भी थोड़ी मात्रा में तेल की बर्बादी/रिसाव हुआ। Valve की चोरी के पश्चात दोनो ट्रांसफॉर्मर का thorough Inspection किये बिना ही Tack Welding कर दिया गया। तत्पश्चात, दोनों ट्रांसफॉर्मर की मरम्मती हेतु दिनांक 24.05.2021 को M/s IMP Power Ltd. को सौंपा गया। चूँकि M/s IMP Power Ltd. को दोनों ट्रांसफॉर्मर सौंपे जाने के समय दोनों ट्रांसफॉर्मर का वजन नहीं लिया जा सका, ऐसी स्थिति में कंपनी के अधिकारियों द्वारा M/s IMP Power Ltd. के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रुप से दोनों ट्रांसफॉर्मर का Internal Inspection किया जाना चाहिये था, जो कि नहीं किया गया। इसके कारण ट्रांसफॉर्मर के आंतरिक संरचना में किसी प्रकार के कमी/बदलाव का पता नहीं लगाया जा सका। उक्त लापरवाही, श्री आशीष कुमार, तदेन विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, बेगूसराय के पर्यवेक्षण कार्य में घोर लापरवाही एवम् उदासीनता को दर्शाता है।

आरोप-2 ट्रांसफॉर्मर के OEM (M/s IMP Power Ltd.) के Workshop में पहुँचने के पश्चात संयुक्त Inspection करने पर यह पाया गया कि ट्रांसफॉर्मर (S.No.5788) में Copper Winding मौजूद नहीं था, जिसका वजन design के अनुसार लगभग 15,900 kg है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर के अंदर Cutting Tools/Other Items भी पाया गया। चूँकि इतने वृहद पैमाने पर चोरी एक दिन में संभव नहीं है, इससे यह

A

स्पष्ट होता है कि Copper Winding की चोरी को काफी पहले से GSS Begusarai में अंजाम दिया जा रहा था। इस घटना की जानकारी श्री आशीष कुमार, तदेन विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, बेगूसराय के संज्ञान में न आ पाना उनके पर्यवेक्षण कार्य में घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है, जिससे कम्पनी को आर्थिक क्षति हुई।

जाँच पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में आरोपी के विरुद्ध लगाये गये दोनों आरोपों को प्रमाणित पाया गया। जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, उपस्थापन पदाधिकारी के लिखित प्रतिवेदन एवं आरोपी के लिखित प्रतिवेदन, गवाहों के गवाही एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों की पूर्णरुपेण समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरांत जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा संकल्प संख्या 2241 दिनांक 13.09.2022 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया।

श्री कुमार द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 916 दिनांक 12.10.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा जवाब समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में उल्लेखित तथ्यों एवं सभी सुसंगत अभिलेखों की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में उनके द्वारा कतिपय नये तथ्य प्रकाश में लाये गये। उनके द्वारा ध्यानाकृष्ट किया गया कि M/s IPM Powers Ltd., Silvasa में पहले से ही कंपनी के विद्युत कार्यपालक अभियंता श्री बरुण बिनीत मौजूद थे, इसके बावजूद O&M, कंपनी मुख्यालय, पटना द्वारा श्री कुन्दन कुमार, सहायक विद्युत अभियंता (क्रिटल) एवं श्री दिलशाद आलम, सहायक विद्युत अभियंता (क्रिटल), संचरण कंपनी मुख्यालय पटना को उक्त प्रासंगिक ट्रांसफॉर्मर के निरीक्षण हेतु भेजा गया। उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि कंपनी के उक्त दोनों सहायक कार्यपालक अभियंता, M/s IPM Powers Ltd., Silvasa के पदाधिकारियों से मिलीभगत कर उनके ही पक्ष में प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। इस मामले को सक्षम प्राधिकार द्वारा गंभीरता से लेते हुए इसकी जाँच कराई गई तथा इन दोनों पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप सही प्रतीत पाते हुए कारण पृच्छा की गई। उनसे प्राप्त जवाब के समीक्षोपरांत उन्हें **"निंदन"** की शास्ति अधिरोपित की गई। साथ ही, आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने कारण पृच्छा जवाब में यह भी ध्यानाकृष्ट किया गया कि LOI No. 01 दिनांक 06.04.2021 के अनुसार मुख्य अभियंता (O&M), कंपनी मुख्यालय, पटना Transit Insurance नहीं किये जाने के लिए दोषी हैं। इस बिंदु पर सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री सत्यनारायण कुमार, तदेन मुख्य अभियंता (O&M) सम्प्रति महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जोन, भागलपुर से कारण पृच्छा पूछा गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित कारण पृच्छा जवाब की समीक्षा के क्रम में उसे संतोषप्रद नहीं मानते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। साथ ही, समीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 220/132/33 के.वी. ग्रिड उपकेन्द्र, बेगूसराय में 50 MVA के ट्रांसफॉर्मर से 15,900 (पन्द्रह हजार नौ सौ) किलोग्राम चोरी हुई Copper Coil का O&M विभाग, कंपनी मुख्यालय, पटना के अनुसार कुल आकलित मूल्य रु. 62,90,000/- (बासठ लाख नब्बे हजार) है। इस प्रकार कंपनी को रु. 62,90,000/- (बासठ लाख नब्बे हजार) मात्र की क्षति हुई है। अतः इस कंपनी के संकल्प सं.172 दिनांक 19.01.2023 द्वारा श्री

कुमार से पुनः कारण पृच्छा किया गया, जिसका जवाब श्री कुमार द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 47 दिनांक 13.02.2023 द्वारा दिया गया। सक्षम प्राधिकार द्वारा पुनः सभी सुसंगत दस्तावेजों की पूर्णरुपेण समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत, सक्षम प्राधिकार द्वारा कंपनी को हुई आर्थिक क्षति राशि रु.62,90,000/- (बासठ लाख नब्बे हजार) मात्र की भरपाई हेतु तदेन महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जोन, भागलपुर, तदेन मुख्य अभियंता (O&M), संचरण कंपनी, मुख्यालय, पटना, तदेन विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, बेगूसराय, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, बेगूसराय एवम् तदेन सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, बेगूसराय के वेतन से बराबर-बराबर वसूली करने एवम् कर्तव्य में लापरवाही के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के अनुसार वृहत शास्ति (दंड) के अंतर्गत कंडिका-14 (vi) के तहत तीन वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार, श्री आशीष कुमार, तदेन विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, बेगूसराय सम्प्रति विद्युत अधीक्षण अभियंता (तकनीकी सचिव), संचरण जोन, भागलपुर को निम्न शास्ति अधिरोपित की जाती है-

(i) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के अनुसार वृहत शास्ति (दंड) के अंतर्गत कंडिका-14 (vi) के तहत तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ii) ट्रांसफॉर्मर (S.No. 5788) से चोरी हुए 15900 kg Copper Winding के आकलित मूल्य राशि रु.62,90,000/- (बासठ लाख नब्बे हजार) का पाँचवा भाग अर्थात रु.12,58,000/- (बारह लाख अंठावन हजार रुपये) मात्र की वसूली श्री आशीष कुमार, विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, भागलपुर के वेतन से की जाय।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री आशीष कुमार (Emp.ID-E02819), विद्युत अधीक्षण अभियंता (तकनीकी सचिव), संचरण जोन, भागलपुर को अग्रसारित किया जाय।

आदेशानुसार,
ह./-
(महफूज आलम)
उपमहाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.)

ज्ञापांक- ____________________ /पटना　　　　दिनांक- __________________

प्रतिलिपि-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना/ प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/11/23

(महफूज आलम)
उपमहाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.)

ज्ञापांक- 2766 /पटना दिनांक- 20/11/2025

प्रतिलिपि- निदेशक (परिचालन)/निदेशक (परियोजना), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/महाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना/ महाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.)/महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/ श्री आशीष कुमार (Emp.ID- E02819), विद्युत अधीक्षण अभियंता (तकनीकी सचिव), संचरण जोन, भागलपुर को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/11/25

(महफूज आलम)

उपमहाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.)

20.11.25